न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 39/2021 जिला भीलवाड़ा

श्री भंवर सिंह पुत्र श्री देबी सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी नवलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)

—अपीलांट

बनाम्

तहसीलदार , वास्ते राजस्थान सरकार तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज0)

—रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा बउनवान प्रकरण राज्य सरकार तहसीलदार माण्डलगढ़ बनाम भंवर सिंह राजपूत प्रकरण संख्या 283/2019 आ0नि0 निर्ण दिनांक 24.02.2021

उपस्थित अभिभाषकः—श्री हंगामी लाल चौधरी(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय   दिनांकः—01.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट खसरा नम्बर 280 रकबा 2 बीघा ग्राम नवलपुरा की भूमि पर वर्ष 1983 में आंवटित होकर उस पर काबिज काश्त है तथा कुऐं का निर्माण कर भूमि को विकसित किया है। संवत 2074—77 की जमाबंदी में उक्त भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी हक में दर्ज है। अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. अपीलांट के खातेदार होने के बावजूद बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना जांच किये , बिना साक्ष्य का परिक्षण किये निर्णय दिनांक 24.02.2021 पारित किया है इसे खारिज किया जायें।
2. खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उक्त अपीलाधीन आदेश विधि के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है।
3. गैर खातेदारी से खातेदारी कब्जाकाश्त होने से ही दी जाती है, जबकि अपीलांट खातेदार काश्तकार था उसके द्वारा कुआ खोदकर उससे फसल की सिंचाई की जा रही है फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित [illegible] है जो खारिज योग्य है।
4. कोरोना काल के दौरान राज्[illegible] की पालना न कर मनमर्जी से यह आदेश दिया है खारिज [illegible] है।
5. अपीलांट का 40 से 50 वर्षो तक कब्[illegible]श्त रहा है अप[illegible] खातेदार काश्तकार है। इसके बाद आवंटन निरस्तीकरण हेतु कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

होता है फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अपील स्वीकार की जायें तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.02.2021 को खारिज किया जायें।

अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार खातेदार होने के बावजूद बिना उन्हें सुने आनन–फानन में निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2021 की पालना यदि स्थगित नहीं की गई तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। मौके एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जायें।

अपील मीमौ के साथ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2021 जमाबंदी संवत 2076 वर्ष 2020 नया खाता संख्या 35 ग्राम नवलपुरा प्रस्तुत की है।

अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार द्वारा प्रेषित किया गया था। कब्जेकाश्त का अभाव बताया गया था जबकि फसल काश्त की गई है, गिरदावरी प्रस्तुत है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पाइंडिंग राजस्व रिकोर्ड के विपरीत है। राजकीय अभि0 द्वारा बताया गया कि कब्जाकाश्त नहीं है। शर्तो की पालना न करने से निरस्त किया गया है। अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। रिब्युटल में वकील अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि खारिजी का आधार सिर्फ कब्जा होना बताया है। सन् 1970 के नियम में कब्जे के अभाव में कोई आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत तथ्य को देखा गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 है। न्यायालय हाजा में दिनांक 09.07.2021 को उक्त अपील प्रस्तुत किया जाना पाया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 665/2021 एसएमडब्ल्यू(सी) नम्बर 03/2020 में दिये गये निर्णय अनुसार मियाद अवधि की गणना दिनांक 28.02.2022 के बाद की जानी है। अतः अपील अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2021 द्वारा ए0डी0एम भीलवाड़ा का अवलोकन किया गया। ग्राम नवलपुरा के आराजी नम्बर 391/280 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट के पक्ष में किया गया था। पैरवी के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने आवंटी के नाम भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होना बताया है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर कब्जाकाश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त योग्य बताकर भूमि को बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश हेतु प्रार्थना की गई थी। ए0डी0एम न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से कब्जे के अभाव में आवंटन को निरस्त करने योग्य माना था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह बताया गया कि पटवारी हल्का द्वारा गलत मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया था। आवंटी आवंटन के तीन वर्ष की अवधि के बाद स्वतः ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का खातेदार हो गया है। आवंटन के करीब बीस वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र दिया गया है जो खारिज योग्य है। आवंटी द्वारा समय–समय पर तहसीलदार से निवेदन किया कि उसको गैर खातेदारी से खातेदारी दी जायें।

तत्समय अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008(1) पेज 598, आरआरटी 2011 पेज 659, आरबीजे 2009 पेज 201, डीएनजे(राज0)1999 पेज 632, आरआरडी 1999 पेज 128, आरबीजे 1995 पेज 1, आरआरडी 1953 पेज 596, आरएलडब्ल्यू 2016(1) पेज 413 सरकार बनाम जसौदा व अन्य, सीडीआर 2007(2) पेज 974, एसएससी 1984 पेज 575, आरबीजे 1999 पेज 412 , आरबीजे 2020 पेज 765 प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से कब्जे बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से राजस्थान भू–आवंटन 1970 के नियम 14(4) की पालना नही किया जाना स्पष्ट होने के आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया। तहसीलदार द्वारा न्यायालय ए0डी0एम भीलवाड़ा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट को भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है तथा गैर खातेदारी में दर्ज है। मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। आवटंन शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्त किया गया। उपरोक्त आराजी नम्बर 391/280 तालाब के भराव क्षैत्र में आता है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है।

वकील अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14, नियम 18 से संबंधित नियम प्रस्तुत किये गये। नियम 14 में आवंटन की शर्तो का उल्लेख है। नियम 14(3) में यह लिखा हुआ है कि भूमिको अच्छे से उपयोग में लेते हुए काश्त योग्य के रूप में लायेगा। तहसीलदार द्वारा काश्त के उपयोग में लाने के लिए एक वर्ष के लिए बढ़ाई जायेगी, यदि ऐसे कारण जिन पर किसान का नियंत्रण ना हो। नियम 18(4) के अनुसार सभी व्यक्ति जिन्हें दिनांक 29.09.1999 से पूर्व भूमि आवंटन हो रखी है तथा जिनके द्वारा प्रथम वर्ष पच्चास प्रतिशत काश्त करने की शर्त पूरी नहीं की गई हो तथा द्वितीय वर्ष में शेष पच्चास प्रतिशत काश्त की शर्त पुरी नहीं की हो तथा जिनके आवंटन निरस्त नहीं किये गये हों। उन्हें लगातार विगत तीन वर्ष की काश्त करने के आधार पर खातेदारी दी जायेगी।

मगर तहसीलदार के प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि तालाब के भराव क्षैत्र में आती है जो कि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में काश्त किया जाना संभव नहीं दिखाई पड़ता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में खसरा नम्बर 391/280 न होकर 381/280 दर्ज है। जो वादग्रस्त भूमि न होकर अन्य खसरा नम्बर प्रतीत होता है। उक्त जमाबंदी से अपीलांट को कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि हेतु गैर खातेदार के रूप में दर्ज था। वादग्रस्त 391/280 रकबा 2 बीघा भूमि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है तथा तालाब के भराव

क्षैत्र में आता है जिससे स्पष्ट होता है कि मौके पर अपीलांट का कब्जाकाश्त नहीं हो सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नियम 18(4) के अनुसार यदि आवंटन निरस्त नहीं किया गया हो। काश्त ना भी की हो तो खातेदारी अधिकार दिये जा सकते थे। अगर वो गत तीन वर्षों तक लगातार काश्त कर रहे हो तथा अन्य शर्तों का पालन उनके द्वारा किया गया हो। मगर पत्रावली पर अपीलांट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हो जिसमें अपीलांट द्वारा अपना कब्जाकाश्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 के तीन वर्ष पूर्व के हों, यह बताया गया हो। अपीलांट द्वारा मात्र संवत 2075 की गिरदावरी प्रस्तुत की है। जिसमें रबी और खरिफ में फसल बोया जाना पाया गया है। मगर आवटंन नियम 1970 के नियम 18(4) में गत तीन वर्ष की शर्त का उल्लेख है जो उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2021 अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 283/2019 राज्य सरकार बनाम भंवर सिंह खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:27 IST
Reason: SelfAttested